न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—191/2019/223 (2019/00191)

1. श्रीमती लालीदेवी पत्नि स्व0 भैरूलाल शर्मा, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम रगसपुरिया, सोनियाना, तह0 गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़ ।

अपीलांट

बनाम

1. हीरालाल पुत्र धूकली, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रगसपुरिया, सोनियाना, तहसील गंगरान जिला चित्तोड़गढ़ । (मृतक) जरिये वारिसानः—
   1/1— छगनी देवी बैवा हीरालाल, ब्राहमण, निवासी ग्राम रगसपुरिया सोनियाना, तह0 गंगरार, जिला चित्तोड़गढ़ ।
   1/2— शोभालाल पुत्र हीरालाल, ब्राहमण, निवासी रगसपुरिया, सोनियाना, तहसील गंगरार, जिला चित्तोड़गढ़ ।
   1/3— सुखदेव पुत्र हीरालाल, जाति ब्राहमण, निवासी किशनावता की खेड़ी, तहसील व जिला भीलवाड़ा ।
   1/4—पुष्पा पुत्री हीरालाल पत्नि भगवती लाल शर्मा, निवासी पंचवटी हरनी महादेव रोड़, भीलवाड़ा ।
   1/5— रूकमा पुत्री हीरालाल पत्नि बद्रीलाल शर्मा, निवासी आकोला छिपा का आकोला, तह0 कोटड़ी, जिला भीलवाड़ा ।
2. श्रीमती छगनी पत्नि हीरालाल, जाति ब्राहमण, निवासी ग्राम रगसपुरिया सोनियाना, तह0 गंगरार, जिला चित्तोड़गढ़ ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ, जिला अजमेर ।
4. उप पंजीयक, किशनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ दिनांक 13.5.2019 अंतर्गत वाद संख्या 220/2018.

उपस्थितः—

1. श्री इंद्रेश कुमार रामचंदानी, वकील अपीलांट ।
2. श्री ऐजाज अहमद, वकील रेस्पो0 संख्या 1/1 से 1/5 एवं 2.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो0 संख्या 3 व 4

निर्णय

दिनांकः— 30.7.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 13.5.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादिया/अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92—अ राज0काश्त0अधि0 के तहत पेश कर कथन किया कि उसके पति भेरूलाल पुत्र हीरालाल के अधिकार मिल्कियत की कृषि भूमि खसरा संख्या 622/2 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा एवं खसर संख्या 966/594 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी कुल किता 2 कुल रकबा 12 बीघा

13 बिस्वा 10 बिस्वांसी ग्राम उदयपुरकंला में है, जिसमें से खसरा संख्या 966/594 में से 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि संपरिवर्तन होने के पश्चात् खसरा संख्या 966/594 का रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 2 बिस्वांसी रहा एवं यह वाद सपंरिवर्तन के पश्चात् खसरा संख्या 966/594 का रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 2 बिस्वांसी रहा था एवं 11 बिस्वा 8 बिस्वांसी भूमि का संपरिवर्तन होकर नवीन खसरा नंबर 2/594/2/2 कायम किये गये। वाद पत्र के पैरा संख्या 2 में वर्णित भूमि के संपरिवर्तन पश्चात् यह वाद खसरा संख्या 622/2 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा एवं खसरा संख्या 966/594 रकबा 5 बीघा 16 बिस्वा 2 बिस्वांसी के बाबत् वाद पेश किया। उक्त वाद के विचाराधीन रहते प्रतिवादी संख्या 1 हीरालाल व प्रतिवादी संख्या 2 श्रीमती छगनी देवी ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादीया ने वाद न्यायालय को गुमराह करने की गरज से और गलत तरीके से पेश किया है जो चलने योग्य नहीं है । अधी0न्याया0 ने निर्णय दिनांक 13.5.2019 द्वारा प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद को पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर खारिज किया। अधी0न्याया0 के इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस पेश कर कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 ने न तो धारा 11 जा0दी0 संहिता के प्रावधानों को दृष्टिगत किया है, न ही आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 को दृष्टिगत किया है । धारा 11 जा0दी0 के प्रावाधान प्रस्तुत प्रकरण पर किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होते है । यह पहलू योग्य अधी0न्याया0 के समक्ष स्पष्ट था कि उपरोक्त राजस्व वाद में वादिया ने नामांतकरण संख्या 1617 दिनांक 15.7.2017 के विरूद्ध वादकारण बनाकर वाद संस्थित किया है जबकि न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ का वाद संख्या 33/2015 दिनांक 18.1.2016 को निर्णित किया गया था जब नामांतकरण संख्या 1617 पश्चात्वर्ती दिनांक का है तो ऐसी स्थिति में प्रांग न्याय (Res judicata) का सिद्धांत किसी भी रूप में प्रभावी नहीं होता है । इस परिपेक्ष्य में प्रथमदृष्टया ही वाद कारण की भिन्नता के आधार पर योग्य अधी0न्याया0 ने लिखित बहस सहित, जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं विधिक दृष्टांतों का आलोचित निर्णय व डिक्री में जानबूझकर विवेचन नही कर, विधिक की मार्मिक त्रुटि की है । इस कारण अधी0न्याया0 का निर्णय प्रथमदृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य को दृष्टिगत नहीं किया कि वाद संख्या 33/2015 हीरालाल विरूद्ध आम जनता में पारित निर्णय दिनांक 18.1.2016 में न्यायालय श्रीमान् अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ द्वारा निर्णय के पृष्ठ संख्या 13 में अपीलांट को पारिवारिक न्यायालय में पति–पत्नि के संबंधों की घोषणा करवाये जाने बाबत् स्वतंत्र अधिकार प्रदत्त किये थे एवं न्यायालय के समक्ष यह भी तथ्य उपलब्ध था कि, पारिवारिक न्यायालय में इस बाबत् अपीलांट ने प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 के विरूद्ध विधिक वाद भी प्रस्तुत कर दिया है । इस परिपेक्ष्य में प्रांग न्याय के अनुक्रम में दिनांक 18.1.2016 का निर्णय अंतिम नही हुआ था । अपने आप में दिनांक 18.1.2016 के निर्णय में माननीय अपर एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ ने अपीलांट को पारिवारिक न्यायालय में वाद संस्थन के अधिकार सुरक्षित रखे थे जिसके बाबत् पारिवारिक न्यायालय में वाद लंबित होना प्रमाणित था । अधी0न्याया0 के समक्ष यह स्पष्ट प्रमाण था कि, न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ में

वाद कारण, निर्णय क्षेत्राधिकारिता एवं अन्य पहलूओं में पूर्णतया भिन्नता थी । ऐसी स्थिति में धारा 11 की विधिक अहर्ताओं की कोई भी शर्त परिपूर्ण नहीं होती है । विधायिका द्वारा धारा 11 में ही अपने आप में प्रभावी रूप से लागू होने बाबत् समस्त अहर्ताओं की पूर्ति किये जाने को आज्ञापक माना है । जबकि अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में न तो उक्त अहर्ताओं का पूर्ण पालना का अभिवाक था, न ही ऐसी कोई साक्ष्य थी, न ही ऐसे कोई दस्तावेज थे । इस परिपेक्ष्य में भी अधी0न्याया0 ने आलोचित निर्णय व डिक्री पारित किये जाने में विधिक की मार्मिक त्रुटि की है एवं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 पर सर्वोच्च न्यायालय के दृष्टांतों को जानबूझकर नजरअंदाज कर, उनका अपने आदेश में विवेचन नहीं कर विधि की अवमानना की है । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ के निर्णय दिनांक 18.1.2016 में यह कहीं भी विवेचित नहीं था कि अपीलांट उपरोक्त भैरूलाल की ब्याहता पत्नि नहीं है, बल्कि उक्त वाद मे तो अपीलांट एवं प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 का यह सस्वीकृत कथन था कि अपीलांट भैरूलाल की पत्नि है एवं भैरूलाल की सम्पति की उत्तराधिकारी है । अधी0न्याया0 ने प्रार्थना पत्र के अवधारण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम न्याय निर्णय आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के अनुक्रम मे वादपत्र को ही दृष्टिगत किया जाना चाहिये के रहते हुए भी उक्त दृष्टांत का लिखित बहस में उल्लेख होते हुए भी आलोचित निर्णय डिक्री के जरिये वाद खारिज कर, अपीलांट/वादिया विधवा महिला को अपने पति के उत्तराधिकार अधीन सम्पति को त्रुटियुक्त नामांतकरण से यथावत् मानकर विधि की मार्मिक त्रुटि करने के साथ–साथ मान0 सर्वोच्च न्यायालय के उक्त दृष्टांत का प्रस्तुत प्रकरण पर प्रभावी होते हुए भी नजरअदांज कर विधि की मार्मिक त्रुटि की है । अधी0न्याया0 के समक्ष यह स्पष्ट था कि वाद प्रत्यर्थी/प्रतिवादी द्वारा लिखित उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है । बिना लिखित उत्तर के धारा 11 जा0दी0 का प्रार्थना पत्र उक्त अधि0 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अनुसार अपरिपक्व रहता है । धारा 11 जा0दी0 के प्रावधान साक्ष्य से ही विनिश्चत किये जाने जैसे रहते है । अधी0न्याया0 को विधिक प्रकिया अनुसार प्रतिवादी से जवाबदावा लेकर उस पर आदेश 14 जा0दी0 के अनुसार प्राथमिक विवाद्यक कायम कर, अवधारण कर सकती थी । अधी0न्याया0 ने प्रतिवादी का जवाब नहीं लेकर, साक्ष्य लेखबद्ध नहीं कर, सरसरी आधार पर किया गया निर्णय अपने आप में प्रथम दृष्टया ही विधिक रूप से त्रुटियुक्त है । इस राजस्व वाद में यह विवेचन करना है कि नामांतकरण संख्या 1617 दिनांक 15.7.2017 राज0काश्त0अधि0 की धारा 40 व 63 के अधीन उचित है क्या ? इस पहलू पर हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 अत्यन्त स्पष्ट है जिसमें धारा 8 के अनुक्रम में पत्नी को पति की सम्पति के लिए तो प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी माना है एवं मृतक का पिता प्रथम श्रेणी का उत्तराधिकारी नहीं होकर द्वितीय श्रेणी में आता है जबकि नामांतकरण प्रथमदृष्टया ही धारा 40 हिन्दू उत्तराधिकार अधि0 के विपरीत दर्ज किया गया है । किसी भी न्यायालय में यह विवाद बिन्दू नहीं था कि वादिया उपरोक्त भैरूलाल की पत्नी नही है बल्कि वाद संख्या 33/2015 में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने न्यायालय में सशपथ बयान दिये थे कि लाली देवी उपरोक्त भैरूलाल की ब्याहता पत्नि है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किया जावे । विद्वान वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में 2006 एस0ए0आर0 पेज 209, 2018 (2) सी0जे0 सिविल (सुप्रीमकोर्ट) पेज 345, एस0ए0आर0 2015 सिविल पेज 385, डी0एन0जे0 2009 पेज 1500, आर0आर0टी0 2018 (2) पेज 1425, डी0एन0जे0 2011 (3) राज0 पेज 1066, आर0आर0टी0 2016 (1) पेज 144, एस0ए0आर0 2014 पेज 901,

एस0ए0ओर0 2015 पेज 1152, एस0ए0आर0 2013 पेज 731, 2009 (3) डी0एन0जे0 सुप्रीम कोर्ट पेज पेज 1187, 2018 (3) सी0जे0 सिविल सुप्रीम कोर्ट पेज 632, 2014 एस0ए0ओर0 सिविल पेज 901, आर0बी0जे0 1996 (3) पेज 1, 2013 एस0ए0ओर0 सिविल पेज 730, 2018 (1) डी0सी0आर0 पेज 209 ए0आई0आर0 1976 बाम्बे पेज 23, आर0आर0टी0 2010 वोल.1 पेज 282 एवं आर0आर0टी0 2011 वोल.2 पेज 1097 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । वादिया/अपीलांट ने जिस सम्पति के विवाद के लिये हस्तगत वाद पेश किया है उस पर पूर्वान्तर विवाद है जिस पर सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया जा चुका है, जिसके विरूद्ध वादिया द्वारा सक्षम न्यायालय में अपील पेश नहीं की गई है । अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ द्वारा वाद संख्या 33/2015 में पारित निर्णय दिनांक 18.1.2016 सभी पक्षकारों पर प्रभावी रूप से लागू है। उक्त वाद श्रीमती लालीदेवी द्वारा पेश किया गया था जो पूर्व में पेश किये गये वाद के बाद का नया वाद है । पूर्व न्याय के सिद्धांत के आधार पर यह वाद चलने योग्य नहीं है क्योंकि इन्हीं पक्षकारों के मध्य इस सम्पति के संबंध में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 18.1.2016 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिससे वादिया द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वाद रेस–ज्येडिकेटा के सिद्धांत के आधार पर चलने योग्य नहीं है । जब दो वादों में अनुतोष भिन्न हो तो तो प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता है जबकि हस्तगत वाद एवं मान0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ के वाद में पक्षकारान एवं अनुतोष समान है इस कारण इस प्रकरण में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू होता है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में एवं आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं विधिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 स्वीकार कर वाद खारिज रेस–ज्यूडिकेटा के आधार पर खारिज किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र वाद को खारिज किया है यहां तक कि रेस्पो0 द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में यह बिन्दु उठाया है कि माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, किशनगढ़ द्वारा दिनांक 18.1.2016 को निर्णय व डिक्री पारित कर दी है इसलिये उक्त वादपत्र चलने योग्य नहीं है । उक्त बिन्दु विधिक तनकी बनाकर ही निर्णित किया जा सकता है एवं रेसज्यूडिकेटा का बिन्दु विधि एवं तथ्य का मिश्रित बिन्दु है जिसका निस्तारण तनकी बनाकर, साक्ष्य आदि लेकर ही किया जा सकता है । अधी0न्याया0 को आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 में उठाये गये बिन्दुओं के संबंध में तनकी बनाकर बाद साक्ष्य निर्णय पारित करना चाहिये था । अधी0न्याया0 द्वारा केवल मात्र तकनीकी आधार पर आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज किया है जिसे विधिसम्मत् नहीं कहा जा सकता है । इस संबंध में विद्वान वकील अपीलांटस द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है । आर0आर0टी0 2010 वोल. 1 पेज 282 एवं आर0आर0टी0 2011 वोल.2 पेज 1097 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि:–

"Code of Civil Procedure, 1908-Sec. 11- Rajasthan Tenancy Act, 1955-Secs. 193, 88 & 188-Suit dismissed

being barred by res judicata suit for declaration of Khatedari rights-Proceedings initiated u/sec.193 a not in regular suit-Order passed u./sec.193 is appealable-Issue of res judicata is a mixed question of fact & law & recording evidence is necessary-Held, Order is set aside & directed the Trial Court to decide the suit."

8. उपरोक्त न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधी0न्याया0 विद्वान उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.5.2019 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्याया0 को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वाद में प्रतिवादीगण का जवाबदावे का अवसर प्रदान कर, वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर तनकियात कायम कर एवं रेसज्यूडिकेटा के बिन्दु पर विधिक तनकी कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 30.7.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

आदेश दिनांक :- 10.8.2021

नोट :- प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर उक्त निर्णय दिनांक 30.7.2021 के पृष्ठ संख्या 01 के सम्बोधक क्रमांक 01 पर श्री इन्द्रेश कुमार रामचन्दानी के स्थान पर श्री मदनलाल गुर्जर एडवोकेट वकील अपीलान्ट पढ़ा जावें ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर